

संत राम शर्मा

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

7 अगस्त 1967

[मुख्य न्यायाधीश, के.एन. वांचू, आर.एस. बछावत, वी. रामास्वामी,

जी.के. मित्तर और के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद, 14 और 16 - भारतीय पुलिस सेवा में चयन श्रेणी पद - योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति तभी मानी जाती है जब योग्यता समान हो - यदि समानता के आश्वासन का उल्लंघन हो।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 बनाया। उक्त नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि किसी राज्य में सभी पुलिस अधिकारियों की उनकी वरिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए एक पदक्रम सूची बनाए रखी जानी चाहिए। तदनुसार, प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा एक पदक्रम सूची तैयार की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं 3 और 4 से वरिष्ठ के रूप में दिखाया गया था। 1955 में, याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं 3 और 4 से हटा दिया गया था, जिन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पुष्टि की गई थी। और 1966 में, तीसरे प्रत्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और प्रत्यर्थी 4 को याचिकाकर्ता को हटाते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि: (1) वह 1955 में पुलिस उप महानिरीक्षक और 1966 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के अधिकार का हकदार था, क्योंकि वह पदवी सूची में सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दर्शाया गया था; (2) चयन श्रेणी पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक नियमों के अभाव में सरकार प्रतिबंध लगाने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। पहले से ही बनाए गए नियमों में, जैसे कि योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए न कि वरिष्ठता पर; (3) पदोन्नति की प्रक्रिया में योग्यता के विचार का परिचय अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि, यह भाई-भतीजावाद और पक्षपात के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत मूल्यांकन के तत्व को लाता है; और (4) यदि सरकार को अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत नियम बनाए बिना नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त है, तो उत्तरदाताओं 3 और 4 की नियुक्तियां मनमानी, मनमौजी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होंगी, क्योंकि, याचिकाकर्ता के दावों पर न तो 1955 में और न ही 1966 में विचार किया गया था।

अभिनिर्धारित: (1) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 और 8 का अवलोकन, उन नियमों की अनुसूची III के भाग बी के साथ पढ़ने से पता चलता है कि पुलिस उप महानिरीक्षक अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और निरीक्षक के तीन पद प्रत्यर्थी राज्य में पुलिस जनरल कनिष्ठ और वरिष्ठ, समय वेतनमान के बाहर चयन पद हैं। चयन श्रेणी या चयन पदों पर पदोन्नति मुख्य रूप से योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल वरिष्ठता पर और इसलिए, प्रत्यर्थी-राज्य याचिकाकर्ता को केवल इसलिए पदोन्नत करने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि वह स्नातक सूची में वरिष्ठ था।

(2) हालाँकि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और पहले से बनाए गए नियमों के साथ असंगत नहीं होने वाले निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार के पास संविधान की अनुसूची VII की सूची II, प्रविष्टि 41 में उल्लिखित राज्य लोक सेवाओं के संबंध में कार्यकारी शक्ति है, और, अनुच्छेद 309 की शर्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कानून के बिना अनुच्छेद 162 के तहत कार्य करने की कार्यपालिका की शक्ति को कम करता हो।

टी. काजी बनाम यू जर्मनिक सिएम, [1961] 1 एस.सी.आर. 750 और *बी. एन. नागराजन बनाम मैसूर राज्य*, [1966] 3 एस.सी.आर. 682, अनुगमनित।

(3) सभी अधिकारियों के लिए उन्नति की उचित संभावना सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही सबसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए, एक उचित पदोन्नति नीति विकसित करना आवश्यक है जिसमें वरिष्ठता और योग्यता के बीच, सही संतुलन पाया जाए। लंबे समय से प्रशासनिक अभ्यास के मामले के रूप में भारतीय पुलिस सेवा में चयन, श्रेणी या चयन पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती थी, और वरिष्ठता पर केवल तभी विचार किया जाता था जब उम्मीदवारों की योग्यता अन्यथा समान होती है और कोई अन्य मानदंड उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है।

(4) प्रत्यर्थी-राज्य ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया था, और उत्तरदाताओं 3 और 4 को चयन पदों पर पदोन्नत करने से पहले पदोन्नति के समय विचार किए जाने के हकदार याचिकाकर्ता और हर अन्य अधिकारी के रिकॉर्ड, अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखा गया था, और इसलिए, अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

मूल न्यायक्षेत्र: रिट याचिका संख्या 182, 1966।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता की ओर से एन.सी. चटर्जी, के.बी. रोस्तगी, एल.एम. सिंघवी और एस बालाकृष्णन।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए सी.बी. अग्रवाल, जी.सी. कासलीवाल, महाधिवक्ता, राजस्थान, इंदु सोनी और के. बलदेव मेहता।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए एन.एस. बिंद्रा, ए.एस. नांबियार और समीक्षा आवेदन सच्चे।

उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 के लिए के. बलदेव मेहता और इंदु सोनी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीश, रामास्वामी, द्वारा। याचिकाकर्ता, श्री संतराम शर्मा ने इस न्यायालय से एक नियम प्राप्त किया है, जिसमें उत्तरदाताओं से यह बताने के लिए कहा गया है कि राजस्थान राज्य के 22 मार्च, 1966 के दो आदेशों को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट क्यों नहीं दी जानी चाहिए। श्री हनुमान शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 3 को याचिकाकर्ता के स्थान पर राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया, और 28 अप्रैल, 1966 को अन्य दिनांक 28 अप्रैल, 1966 को याचिकाकर्ता के स्थान पर श्री सुल्तान सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 4 को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने राजस्थान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं 1 और 2 को आदेश देने वाली एक रिट की भी

प्रार्थना की है। राजस्थान राज्य और अन्य उत्तरदाताओं की ओर से श्री सीबी अग्रवाल द्वारा कारण बताया गया है, जिन्हें नियम का नोटिस देने का आदेश दिया गया था।

याचिकाकर्ता, श्री संत राम शन्ना को 10 जून, 1952 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था। 8 सितंबर, 1954 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 लागू हुआ। उक्त नियमों के नियम 6 में कहा गया है कि राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों की उनकी वरिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए एक पदक्रम सूची बनाए रखी जानी चाहिए। तदनुसार, अगस्त, 1955 में राजस्थान राज्य द्वारा एक पदक्रम सूची तैयार की गई। इस पदक्रम सूची में याचिकाकर्ता का स्थान 5 वां था। श्री हनुमान शर्मा को 7 वें स्थान पर, श्री सुल्तान सिंह को 14 वें स्थान पर और श्री गणेश सिंह को 17 वें स्थान पर दर्शाया गया था। भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को उस नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष का आवंटन सौंपा जाएगा। इस नियम के अनुसार याचिकाकर्ता का आवंटन वर्ष 1942, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 श्री हनुमान शर्मा का 1943 और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 श्री सुल्तान सिंह का 1945 था। अप्रैल 1955 में, याचिकाकर्ता और तीन अन्य अधिकारियों, अर्थात् श्री हनुमान शर्मा, श्री सुल्तान सिंह और श्री गणेश सिंह की पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पुष्टि का प्रश्न उठाया गया। राजस्थान राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता को हटा दिया जाना चाहिए और तीन अधिकारियों, श्री हनुमान शर्मा, श्री सुल्तान सिंह और श्री गणेश सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर स्थायी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जून, 1959 में श्री हनुमान शर्मा को विशेष पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और 2 जून, 1961 को इस पद को संवर्गित कर दिया गया और श्री हनुमान शर्मा को उस पद पर स्थायी कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि, 22 मार्च, 1966 को श्री हनुमान शर्मा को राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था और 28 अप्रैल, 1966 को याचिकाकर्ता को हटाते हुए श्री सुल्तान सिंह को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 22 मार्च, 1966 और 28 अप्रैल, 1966 की राजस्थान राज्य की अधिसूचनाएँ रिट याचिका के अनुलग्नक 'जी' और 'एच' हैं। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि वह अधिकार के तौर पर 1955 में पुलिस उप महानिरीक्षक और 1966 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने का हकदार था, क्योंकि उसे स्नातक सूची में सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दिखाया गया था, और अनुलग्नक 'जी' और 'एच' में राजस्थान राज्य के आदेश भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 के नियम 6 के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उनका दावा 1955 में उत्तरदाताओं 3 और 4 की पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पुष्टि के समय या 1966 में क्रमशः पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पदों पर उत्तरदाताओं 3 और 4 की पदोन्नति के समय इस पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए यह कहा गया कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और राजस्थान राज्य के 22 मार्च, 1966 और 28 अप्रैल, 1966 के आदेशों को रिट की प्रकृति के अनुदान द्वारा, प्रथम प्रत्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश के साथ, रद्द किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के आरोपों को राजस्थान राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया था कि पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद ऐसे चयन पद हैं जिनका वेतन समयमान वेतनमान से अधिक होता है और इन चयन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन केवल पदक्रम सूची में उसके रैंक के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता और पुलिस विभाग में पिछले अनुभवों के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। याचिकाकर्ता को 10 जून, 1952 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, लेकिन उस तारीख से पहले ही श्री हनुमान शर्मा, श्री

सुल्तान सिंह और श्री गणेश सिंह को 1951 में भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था और वे पहले से ही पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री हनुमान शर्मा और श्री सुल्तान सिंह 22 अप्रैल, 1952 से और श्री गणेश सिंह 17 मई, 1952 से कार्य कर रहे थे। याचिकाकर्ता को 10 जून, 1954 को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पुष्टि की गई थी, लेकिन अन्य तीन अधिकारियों को 24 मार्च, 1953 को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में पुष्टि की गई थी, यानी, याचिकाकर्ता की पुष्टि से एक वर्ष से अधिक समय पहले। जब 1955 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर अधिकारियों की पुष्टि का प्रश्न उठा, तो राजस्थान राज्य ने याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधित अधिकारियों की तुलनात्मक योग्यता पर विचार किया और उत्तरदाताओं 3 और 4 की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में उनके उत्कृष्ट रिकॉर्ड और योग्यता और अनुभव को देखते हुए याचिकाकर्ता को प्राथमिकता देते हुए श्री गणेश सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 3 की पुलिस महानिरीक्षक के पद पर और प्रत्यर्थी संख्या 4 की अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के संबंध में है, तो यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले चयन पदों पर कोई अधिकार नहीं था और उन पदों पर नियुक्ति राजस्थान राज्य के विवेक पर थी, जिसने सभी संबंधित अधिकारियों की योग्यता पर विचार करने के बाद प्रश्न का निर्णय लिया। आगे यह कहा गया कि नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया गया था, बल्कि दक्षता और अच्छे प्रशासन के हित में किया गया था और चयन पदों पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर थी और यह केवल ऐसे मामले में था जहां योग्यता की योग्यता थी दो अधिकारियों की संख्या इतनी बराबर थी कि पदक्रम सूची में एक अधिकारी की वरिष्ठता उसके पक्ष में हो सकती थी। प्रत्यर्थी द्वारा इस बात से इनकार किया गया कि भारतीय पुलिस सेवा वरिष्ठता नियमन नियम, 1954 का कोई उल्लंघन हुआ है।

इस मामले में निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, अधिकार के तौर पर, 1955 में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में या 1966 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था, केवल इस आधार पर कि उसका नाम, भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 के नियम 6 के तहत तैयार किया गया, स्नातक सूची में पहले स्थान पर था।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का LXI) की धारा 3 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम, 1954 बनाया। नियम 2 (ए) में प्रावधान है कि "कैंडर" का अर्थ है "भारतीय पुलिस सेवा (कैंडर) नियम, 1954 के नियम 3 के अनुसार गठित एक भारतीय पुलिस सेवा कैंडर"। नियम 2 (डी) "पदक्रम सूची" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "नियम 6 के तहत तैयार की गई पदक्रम सूची"। नियम 2(जी) "वरिष्ठ पद" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "भारतीय पुलिस सेवा (कैंडर शक्ति का निर्धारण) विनियम, 1955 की प्रत्येक अनुसूची के क्रमांक 1 के तहत शामिल एक पद या संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई पद"। नियम 3 आवंटन के वर्ष के निर्धारण से संबंधित है और इस प्रकार है:-

"(1) प्रत्येक अधिकारी को इस नियम में इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार आवंटन का एक वर्ष सौंपा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा में एक अधिकारी के आवंटन का वर्ष वही होगा जो उसे इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू आदेशों और निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया है या सौंपा जा सकता है। :

.....

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में नियुक्त अधिकारी के आवंटन का वर्ष होगा—

(ए) जहां अधिकारी को प्रतिस्पर्धी परीक्षा के परिणामों पर सेवा में नियुक्त किया जाता है, उस वर्ष के बाद का वर्ष जिसमें ऐसी परीक्षा अभिनिर्धारित की गई थी;

(बी) जहां अधिकारी को भर्ती नियमों के नियम 9 के अनुसार पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया जाता है, उन नियमों के नियम 7 के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए सबसे कनिष्ठ अधिकारियों के आवंटन का वर्ष, जिन्होंने लगातार कार्य किया है, किसी वरिष्ठ पद पर पूर्व द्वारा इस तरह का कार्यभार शुरू करने की तारीख से पहले की तारीख से:

बशर्ते कि भर्ती नियमों के नियम 9 के अनुसार सेवा में नियुक्त एक अधिकारी के आवंटन का वर्ष, जिसने उस तारीख से पहले की तारीख से एक वरिष्ठ पद पर लगातार कार्य करना शुरू कर दिया था, जिस पर किसी भी अधिकारी को सेवा के अनुसार भर्ती किया गया था उन नियमों के नियम 7, इस प्रकार शुरू की गई स्थानापन्नता संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तदर्थ निर्धारित की जाएगी;

.....”

नियम 4 अधिकारियों की वरिष्ठता से संबंधित है और इस प्रकार है: -

"4. (2) इन नियमों के प्रारंभ में सेवा में अधिकारियों की वरिष्ठता वही होगी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू आदेशों और निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है या निर्धारित की जा सकती है;

बशर्ते कि जहां भर्ती नियमों के नियम 9 के अनुसार नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले निर्धारित नहीं की गई है, उसकी वरिष्ठता उप-नियम (3) में प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

.....”

नियम 5 विशेष भर्ती बोर्ड द्वारा सूची II और सूची III में रखे गए अधिकारियों की वरिष्ठता से संबंधित है और नियम 5-ए भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भर्ती) विनियम, 1957 के तहत नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता से संबंधित है। नियम 6 कहता है:

"6. पदक्रम सूची- प्रत्येक राज्य संवर्ग और संयुक्त संवर्ग के लिए हर साल एक पदक्रम सूची तैयार की जाएगी जिसमें उस संवर्ग के सभी अधिकारियों के नाम शामिल होंगे जो नियम 4, 5, 5 ए और 7 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित होंगे।"

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एनसी चटर्जी ने तर्क दिया कि नियम 6 के अनुसार नियम 4, 5, 5-ए और 7 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में एक पदक्रम सूची तैयार की जानी चाहिए और यह राजस्थान राज्य के लिए खुला नहीं है कि वह याचिकाकर्ता के दावे की अवहेलना करे जो पदक्रम सूची में प्रथम स्थान पर था और उत्तरदाताओं 3 और 4 को पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत करे। हम याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क को सही नहीं मान सकते। भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 और 8 को उन नियमों की अनुसूची III के भाग बी के साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के पद राजस्थान राज्य में पुलिस के चयन पद कनिष्ठ और वरिष्ठ समय वेतनमान के बाहर हैं। नियम 2(ए) में प्रावधान है कि 'कैडर' और 'कैडर पद' का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियम, 1954 में दिया गया है। नियम 3 सेवा के सदस्यों के लिए स्वीकार्य समय वेतनमान निर्धारित करता है और इस प्रकार है:

"3. वेतन का समय-मान-सेवा के सदस्य को स्वीकार्य वेतन का समय-मान इस प्रकार होगा: -

जूनियर स्केल-रु 350-350-380-380-30-590-

ई.बी-30-770--40-850 (19 वर्ष)।

सीनियर स्केल- 600 रुपये (छठे वर्ष के तहत)-40-1,000-

1000-1,050-1,050-1,100-1,100-1150 (22) वर्ष।

चयन ग्रेड- 1,250 रुपये।

बशर्ते कि वरिष्ठ समय-मान में पद धारण करने वाले सेवा के सदस्य को चयन श्रेणी में किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है और जहां वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, वह चयन श्रेणी में पद का वेतन पाने का हकदार होगा;

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य जिसे इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू किसी भी आदेश के तहत कोई अन्य समय-मान वेतन स्वीकार्य था, वह उस वेतनमान में वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा।

नियम चयन श्रेणी के अलावा दो वेतनमान जूनियर वेतनमान और सीनियर वेतनमान निर्धारित करता है जो कि 1250 रुपये है। नियम 8 अनुसूची III में शामिल पदों को रखने वाले अधिकारियों के वेतन से संबंधित है और निम्नानुसार है:-

"अनुसूची III में निर्दिष्ट पद धारण करने के लिए नियुक्त सेवा का कोई भी सदस्य, जब तक वह पद धारण करेगा, तब तक उक्त अनुसूची में उस पद के लिए निर्दिष्ट वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा:

बशर्ते कि सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी समय उससे कम वेतन नहीं लेगा जो वह नियम 4 और नियम 5 के तहत पाने का हकदार है;

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य, जिसे अनुसूची III में निर्दिष्ट पदों को धारण करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू किसी भी आदेश के तहत कोई अन्य विशेष वेतन या समय-मान से ऊपर वेतन स्वीकार्य था, जब तक वह पद पर है पद, समान वेतन प्राप्त करना जारी रखे"।

अनुसूची में पद हैं (ए) राज्य सरकारों के तहत भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय-मान में वेतन वाले पद, (बी) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समयमान वेतन वाले पद, जिनमें धारा बी में निर्दिष्ट विशेष वेतन (समयमान वेतन के अतिरिक्त) वाले पद भी शामिल हैं, (सी) धारा सी में निर्दिष्ट सेवा के सदस्यों द्वारा धारित केंद्र सरकार के अधीन समयमान के ऊपर वेतनमान या समयमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाला पद। श्रेणी (ए) में जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के पदों को समय वेतनमान से ऊपर वाले चयन श्रेणी पदों के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, अनुसूची III के भाग बी के साथ पढ़े गए नियम 3 और 8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के तीन पद चयन पद हैं और नियम 3 में उल्लिखित कनिष्ठ और वरिष्ठ समय-मान वेतनमान के बाहर हैं। यह निष्कर्ष अनुसूची III के भाग बी के परिच्छेद 1 द्वारा भी समर्थित है जिसमें कहा गया है कि "किसी राज्य संवर्ग में चयन श्रेणी में पदों की संख्या उस संवर्ग में वरिष्ठ पदों की कुल संख्या के बीस प्रतिशत के बराबर होगी, जो समय-मान से ऊपर वेतन वाले पदों की संख्या से कम हो जाएगी।" अपने तर्क के समर्थन में, श्री एनसी चटर्जी ने *पीसी वाडल्टवा बनाम भारत संघ* में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। लेकिन उस मामले के तर्क का वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए प्रस्तुत प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता है। उस मामले में सवाल यह था कि क्या भारतीय पुलिस सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों के तहत, उसका एक सदस्य वरिष्ठ वेतनमान में एक पद पर पदोन्नत होने का हकदार था, जब भी

कोई रिक्ति (पदोन्नति कोटा में एक रिक्ति को छोड़कर) निकलती थी और कोई भी वरिष्ठ नहीं होता था वह उस पद के लिए उपलब्ध थे। विद्वान न्यायमूर्तिगण के बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विभिन्न नियमों पर विचार करने से यह बिना किसी संदेह के स्पष्ट हो जाएगा कि सेवा के कनिष्ठ समयमान में एक व्यक्ति उतना ही संवर्ग अधिकारी है जितना कि वरिष्ठ समयमान में कोई पद धारण करने वाला या समयमान के ऊपर एक पद धारण करने व्यक्ति है और नियमों की पूरी योजना से संकेत मिलता है कि कनिष्ठ वेतनमान में एक व्यक्ति को वरिष्ठ वेतनमान पर एक पद रखने का अधिकार है, बशर्ते कि वरिष्ठ वेतनमान में एक पद की उपलब्धता हो और कनिष्ठ वेतनमान में उसकी वरिष्ठता हो। रिपोर्ट के पृष्ठ 627 पर, न्यायमूर्ति मुधोलकर ने अपने फैसले के दौरान स्पष्ट रूप से कहा- "हमें यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह अधिकार समय वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद पर नियुक्ति या विशेष पद वाले पद पर नियुक्ति तक फैला हुआ है। वेतन, और ऐसे पदों पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम हमारे सामने नहीं रखे गए थे"। इसलिए *पी.सी. वाधवा बनाम भारत संघ* में इस न्यायालय के निर्णय से याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं मिली और जो कारण हम पहले ही दे चुके हैं, उसके आधार पर हमारी राय है कि पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के तीन पद और राजस्थान राज्य में पुलिस उप महानिरीक्षक चयन पद और कनिष्ठ या वरिष्ठ समय वेतनमान के बाहर हैं। यदि ये तीन पद चयन पद हैं, तो यह स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य याचिकाकर्ता को केवल इसलिए पदोन्नत करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह स्नातक सूची में प्रथम स्थान पर था। परिस्थिति यह है कि इन पदों को 'चयन श्रेणी पदों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे पता चलता है कि इन पदों पर पदोन्नति केवल पदक्रम सूची में रैंकिंग के आधार पर स्वचालित रूप से नहीं की जाती है, बल्कि चयन पदों पर पदोन्नति में योग्यता का प्रश्न शामिल होता है। हमारी राय में, उत्तरदाताओं का यह तर्क सही है कि पदक्रम सूची में श्रेणी या स्थिति, याचिकाकर्ता को चयन पदों पर पदोन्नत होने का कोई अधिकार नहीं देती है और यह एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि चयन श्रेणी या चयन पदों पर पदोन्नति मुख्य रूप से योग्यता पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल वरिष्ठता पर। सिद्धांत यह है कि जब चयन पदों के लिए अधिकारियों के दावों पर विचार किया जा रहा है, तो वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां अधिकारियों की योग्यता को समान माना जाता है और इसलिए कोई अन्य मानदंड उपलब्ध नहीं है। चयन पदों के संबंध में प्रशासनिक प्रथा भारत सरकार के दिनांक 31 जुलाई/3 अगस्त, 1954 के पत्र में इस प्रकार निर्धारित की गई है:-

"अगर कोई व्यक्ति, हालांकि पदक्रम सूची में वरिष्ठ है, अपने कनिष्ठ से बाद में चयन पद पर नियुक्त किया जाता है, तो संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि चयन के मामले में उसे हटा दिया गया है। यदि ऐसा है, तो जहां तक चयन पदों का सवाल है, पहले से चयनित अधिकारी को, भले ही वह पदक्रम सूची में कनिष्ठ हो, अन्य अधिकारी से वरिष्ठ मानना निश्चित रूप से अनुचित नहीं होगा।"

1 जून 1955 के एक अन्य संचार में कहा गया है:

"सभी उत्कृष्ट समय मान पद चयन पद हैं और उन पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता क्रम का पालन करना आवश्यक नहीं है"।

5 अक्टूबर 1956 के एक अन्य पत्र संख्या 716/56-आईएस(1) में भारत सरकार ने चयन श्रेणी पदों पर पदोन्नति के सिद्धांत को इस प्रकार दोहराया है:

"मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार को हाल ही में चयन श्रेणी में आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के मामले में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के सवाल पर विचार करने का अवसर मिला था, जब सेवा में कनिष्ठ कुछ अधिकारियों को मंजूरी दी गई थी और उन्हें कार्यवाहक पद दिया गया था। ऐसे चयन श्रेणी में संभावना उनके वरिष्ठों से पहले होती है। निस्संदेह, यह एक

अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि चयन श्रेणी या चयन पद पर पदोन्नति मुख्य रूप से योग्यता पर आधारित होनी चाहिए न कि सेवा में वरिष्ठता पर...।"

हम श्री एनसी चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि चयन श्रेणी पदों पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में, सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बनाए गए नियमों में नहीं पाए गए किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क को सही नहीं मान पा रहे हैं। यह सच है कि नियमों में चयन श्रेणी पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ श्रेणी अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते, तब तक सरकार चयन श्रेणी पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं।

बी एन नागराजन बनाम मैसूर राज्य मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह बताया गया था कि किसी सेवा के गठन या पद सृजित होने से पहले भर्ती आदि के नियम बनाना संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य नहीं है, और, दूसरी बात, राज्य सरकार के पास उन सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्ति है, जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। इससे यह पता चलता है कि राज्य सरकार के पास अनुसूची 7, सूची II, प्रविष्टि 41, राज्य लोक सेवाओं के संबंध में कार्यकारी शक्ति होगी, और संविधान के अनुच्छेद 309 की शर्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, बिना किसी कानून के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत, कार्य करने के लिए कार्यपालिका की शक्ति को कम करता हो। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा *टी काजी बनाम यू जोर्मानिक सिएम* में लिया गया था, जहां न्यायाधीश, वांचू, जैसा कि वह उस समय थे, ने बहुमत की ओर से फैसला सु सुनाते हुए, रिपोर्ट के पृष्ठ 762-764 पर निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि सिएम की नियुक्ति और उत्तराधिकार जिला परिषद का प्रशासनिक कार्य नहीं था और जिला परिषद केवल राज्यपाल की सहमति से कानून बनाकर नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में कार्य कर सकती थी। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने अनुसूची के परिच्छेद 3(1)(जी) पर भरोसा किया, जो बताता है कि जिला परिषद के पास प्रमुखों और मुखिया की नियुक्ति और उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। उच्च न्यायालय का मानना है कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक प्रत्यर्थी की तरह किसी प्रमुख या सिएम की नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप हटाने की भी कोई शक्ति नहीं होगी। सम्मान के साथ, यह हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने परिच्छेद 3(1)(जी) को उसकी भाषा से कहीं अधिक पढ़ा है। परिच्छेद 3(1) वास्तव में एक विधायी सूची की तरह है और उन विषयों की गणना करता है जिन पर जिला परिषद कानून बनाने में सक्षम है। परिच्छेद 3(1)(जी) के तहत, इसके पास प्रमुखों की नियुक्ति या उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है और इसमें स्वाभाविक रूप से उन्हें हटाने की शक्ति शामिल होगी। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि किसी प्रमुख की नियुक्ति या निष्कासन एक विधायी कार्य है या इस आशय का कानून बनाए बिना कोई नियुक्ति या निष्कासन नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, एक बार नियुक्ति की शक्ति जिले के प्रशासन की शक्ति के अंतर्गत आ जाती है, तो नियुक्त अधिकारियों और अन्य लोगों को हटाने की शक्ति अनिवार्य रूप से परिणाम के रूप में पालन की जाएगी। संविधान का इरादा यह नहीं हो सकता था कि स्वायत्त जिलों में सभी प्रशासन तब तक बंद रहेंगे जब तक कि राज्यपाल परिच्छेद 19 (i) (बी) के तहत नियम नहीं बनाते या जब तक जिला परिषद परिच्छेद 3 (1) (जी) के तहत कानून पारित नहीं कर देती। प्रथम दृष्टया राज्यपाल और उसके बाद जिला परिषदों को प्रशासन चलाने की शक्ति प्रदान की गई और हमारी राय में इसमें प्रशासन चलाने के लिए कर्मियों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति भी शामिल थी। निस्संदेह, जब प्रशासन के कर्मियों की नियुक्ति या निष्कासन के संबंध में परिच्छेद 19(1)(बी) के तहत नियम बनाए जाते हैं या परिच्छेद 3(1) के तहत कानून पारित किए जाते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी, बनाए गए या पारित किए गए कानूनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जब तक नियम नहीं बनाये गये या कानून पारित नहीं हो गये, तब तक प्रशासन के कार्मिकों की नियुक्ति या बर्खास्तगी नहीं हो सकती। हमारी राय में, संबंधित प्राधिकारियों के पास छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त प्रशासन की सामान्य शक्ति के तहत प्रशासनिक कर्मियों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति हर प्रासंगिक समय पर होगी। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि परिच्छेद 3(1)(जी) के तहत पहले कानून पारित किए बिना जिला परिषद द्वारा कोई नियुक्ति या निष्कासन नहीं किया जा सकता है, कायम नहीं रखा जा सकता है।

हम श्री एनसी चटर्जी के अगले तर्क पर विचार करते हैं कि यदि कार्यकारी सरकार को अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाए बिना नियुक्तियां करने और सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति दी जाती है, तो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा क्योंकि नियुक्तियाँ मनमानी और मनमौजी होंगी। हमारी राय में याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई दम नहीं है। यदि राजस्थान राज्य ने चयन पदों पर नियुक्ति से पहले याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य पात्र अभ्यर्थियों के मामले पर भी विचार किया होता तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा की शर्तों के मद्देनजर पात्र है और विचार का हकदार था, वास्तव में उन चयन पदों पर पदोन्नति से पहले वास्तव में विचार किया गया था। उत्तरदाताओं की ओर से श्री सीबी अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अधिकारियों की योग्यता का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित अधिकारियों की योग्यता, दक्षता और अनुभव से संबंधित रिकॉर्ड शीट की जांच के आधार पर पदोन्नति की जाती है। वर्तमान मामले में, रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है कि 1955 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर या 1966 में पुलिस महानिरीक्षक या अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के समय उत्तरदाताओं 3 और 4 के साथ उनके मामले पर विचार नहीं किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा 17 जुलाई, 1967 को अपनी प्रत्युत्तर-याचिका के परिच्छेद 68 में एक अस्पष्ट सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार संभवतः मेरे मामले पर विचार नहीं कर सकती थी, जैसा कि उन्होंने माना और यहां तक कि इस जवाबी हलफनामे में भी श्री हनुमान शर्मा और श्री सुल्तान सिंह को वरिष्ठता के नए प्रकार के आधार पर मुझसे वरिष्ठ मानते हैं, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए ईजाद किया है।" हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है कि उसके मामले पर कोई विचार नहीं किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाबी हलफनामे के परिच्छेदग्राफ 23, 25, 40 और 44 में निश्चित रूप से कहा है कि उत्तरदाताओं 3 और 4 की पदोन्नति के समय पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन पदों पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया। इसलिए हमारी राय है कि याचिकाकर्ता अपने तर्क को साबित करने में असमर्थ है कि चयन पदों पर उत्तरदाताओं 3 और 4 की पदोन्नति के समय उनके मामले पर कोई विचार नहीं किया गया था।

इसलिए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया था और चयन श्रेणी पदों पर उत्तरदाताओं 3 और 4 की पदोन्नति के समय याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड, अनुभव और योग्यता को ध्यान में रखा था। इसलिए श्री एनसी चटर्जी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत संवैधानिक आश्वासन का कोई उल्लंघन हुआ है। श्री एनसी चटर्जी ने तर्क दिया कि पदोन्नति की प्रक्रिया में योग्यता के विचार का परिचय व्यक्तिगत मूल्यांकन का एक तत्व लाता है और व्यक्तिगत मूल्यांकन भाई-भतीजावाद और पक्षपात के दुरुपयोग का द्वार खोलता है और इसलिए, विधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। हम इस तर्क को उचित मानने में असमर्थ हैं। एक उचित पदोन्नति नीति का प्रश्न विभिन्न परस्पर विरोधी कारणों पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट है कि एकमात्र तरीका जिसमें पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है वह यह है कि सभी पदोन्नतियाँ पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर की जाएँ। इसका मतलब यह है कि यदि कोई पद खाली हो जाता है, तो उसे ठीक नीचे वाले पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। लेकिन वरिष्ठता प्रणाली के साथ समस्या यह है कि यह इतनी वस्तुनिष्ठ है कि यह व्यक्तिगत योग्यता का कोई हिसाब लेने में विफल रहती है। एक प्रणाली के रूप में, यह सर्वोत्तम अधिकारियों को छोड़कर प्रत्येक अधिकारी के लिए निष्पक्ष है; किसी अधिकारी के पास जीतने या खोने के लिए कुछ भी नहीं है बशर्ते वह वास्तव में इतना अक्षम न हो जाए कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन, हालांकि यह प्रणाली संबंधित अधिकारियों के लिए निष्पक्ष है, यह जनता पर भारी बोझ है और सार्वजनिक व्यवसाय के कुशल संचालन पर एक बड़ा दबाव है। इसलिए समस्या यह है कि सभी अधिकारियों के लिए उन्नति की उचित संभावना कैसे सुनिश्चित की जाए और साथ ही सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों में सार्वजनिक हित की रक्षा कैसे की जाए? दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि एक उचित पदोन्नति-नीति में वरिष्ठता और योग्यता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। इस संबंध में लियोनार्ड डी व्हाइट ने इस प्रकार कहा है:-

"पदोन्नति प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पूरे संगठन के मनोबल को बनाए रखते हुए उच्च पदों के लिए सर्वोत्तम संभावित पदाधिकारियों को सुरक्षित करना है। मुख्य हित सार्वजनिक हित है, न कि संबंधित आधिकारिक समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत हित। सार्वजनिक हित तब सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित होता है जब सभी योग्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के उचित अवसर मौजूद होते हैं, जब वास्तव में श्रेष्ठ सिविल सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार और रक्तियां आने पर पदोन्नति सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम किया जाता है, और जब पदोन्नति के लिए चयन किया जाता है योग्यता का एकमात्र आधार, योग्यता प्रणाली को मूल भर्ती की तरह पदोन्नति करने में भी विशेष रूप से लागू किया जाना चाहिए।

कर्मचारी अक्सर वरिष्ठता के नियम को प्राथमिकता देते हैं, जिसके द्वारा सेवा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पात्र को स्वचालित रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती है। सीमा के भीतर, वरिष्ठता, चयन के एक मानदंड के रूप में विचार करने का हकदार है। यह पक्षपात या उसके संदेह को खत्म करने की प्रवृत्ति रखता है; और एक सफल कर्मचारी के निर्माण में अनुभव निश्चित रूप से एक कारक है। सबसे निचले से अन्य अधीनस्थ पदों पर पदोन्नति में वरिष्ठता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे-जैसे कर्मचारी जिम्मेदारी की सीढ़ी चढ़ते हैं, वे कम से कम वजन के हकदार होते हैं। जब किसी भी स्तर पर वरिष्ठता को एकमात्र निर्धारण कारक बना दिया जाता है, तो यह एक खतरनाक मार्गदर्शक है। इसका

मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष श्रेणी में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला कर्मचारी उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए सबसे उपयुक्त है; बिल्कुल विपरीत सत्य हो सकता है।

(लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय, 4 संस्करण, पृ. 380, 383)।

लंबे समय से प्रशासनिक अभ्यास के मामले के रूप में, भारतीय पुलिस सेवा में चयन श्रेणी पदों पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर की गई है और वरिष्ठता को केवल तभी ध्यान में रखा जाता है जब उम्मीदवारों की योग्यता अन्यथा समान होती है और हम श्री एनसी चटर्जी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह प्रक्रिया किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।

व्यक्त किए गए कारणों से, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट देने के लिए मामला बनाने में असमर्थ रहा है। तदनुसार याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। इस मामले की परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

याचिका खारिज

वी.पी.एस

विक्रान्त ठाकुर की देखरेख में सुमीत कपूर द्वारा अनुवादित।

ⁱ [1964] एस.सी.आर. 598

ⁱⁱ [1961] 1 एस.सी.आर. 750